प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० निग० 1691-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-4-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र०क्र० निग० 116/अ-3/10-11।

अमृतलाल तनय राजधर यादव
निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ म०प्र० --- आवेदक

विरूद्ध

1- दम्मू तनय बल्दू अहिरवार
2- हरदास तनय बल्दू अहिरवार
3- श्रीमति दुजाबाई पत्नि रामदास अहिरवार
4- गंगाबाई पत्नि हल्कू अहिरवार
5- मुकेश राजेश तनय रामदास अहिरवार
6- जितेन्द्र मनोज तनय हल्कू अहिरवार

समस्त निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं
जिला टीकमगढ़ म०प्र० --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1691/ III/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्ष एवं अभि के
17.6.2014	यह निगरानी आयुक्त ,सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 116/अ-3/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29-4-14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि ग्राम अनंतपुरा की आराजी कमांक 545/03 रकबा 0.272 हैक्टर भूमिस्वामी से रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई और तभी से आवेदक काविज है। तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ 3/06-07 से संपूर्ण प्रकिया अपनाकर आदेश दिनांक 21-2-07 से भूमि का नक्शा तरमीम किया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ रिस्पाण्डेन्टस व्दारा करने पर अपील कमांक 16/09-10 में पारित आदेश दिनांक 27-7-10 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित हुआ, जिसकी निगरानी अपर कलेक्टर के यहां करने पर आदेश दिनांक 15-12-10 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त हुआ जिसकी निगरानी आयुक्त के समक्ष हुई और उन्होंने आदेश दिनांक 29-4-14 से अपर कलेक्टर के विधिवत् आदेश को निरस्त कर एस0डी0ओ0 के आदेश को बहाल करने में गलती की हे इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर सुनवाई में ली जावे एव अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड बुलाने की प्रार्थना की गई। 4/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत	